

कृषि अवसंरचना कोष का वसितार

स्रोत: द हट्टि

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कसिान उत्पादक संगठनों (FPO) को वत्तित्तीय सुरक्षा और ःरण पात्रता में सुधार करने के लयि वत्तित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 1 लाख करोड रुपए के कृषि अवसंरचना कोष (AIF) की सीमा का वसितार कयिा ।

- AIF अब “सामुदायकि कृषि परसिंपत्तयिों के नरिमाण हेतु व्यवहार्य परयिोजनाओं” के अंतर्गत आने वाली बुनयिादी अवसंरचना के नरिमाण के लयि यिोजनाओं के सभी पात्र लाभार्थयिों को अनुमत्ति देगा, इससे वकिस, उत्पादकता, कृषि आय और समग्र कृषि स्थरिता को बढ़ावा मलिया ।
 - FPO के लयि वत्तित्तीय सहायता को शामिल करने हेतु इसे पुनरकल्पति कयिा जाएगा ताकि उनकी वत्तित्तीय सुरक्षा और ःरण-योग्यता बढ़ाई जा सके ।
- AIF: AIF जुलाई 2020 में शुरू की गई एक वत्तितपोषण सुवधि है ।
 - इसका उद्देश्य कसिानों, कृषि-उद्यमयिों, **स्वयं सहायता समूहों (SHG)**, संयुक्त देयता समूहों (JLG) आदि जैसे कसिान समूहों और कई अन्य लोगों को पूरे देश में फसल-उपरांत प्रबंधन, बुनयिादी अवसंरचना का नरिमाण करने तथा सामुदायकि कृषि परसिंपत्तयिों का नरिमाण करने हेतु व्यापक वत्तित्तीय सहायता प्रदान करना है ।
- FPO: FPO कसिानों के एक समूह द्वारा गठति कानूनी संस्थाएँ हैं, जनिके समान हति और लक्ष्य होते हैं ।
 - वे सहकारी समत्तियिों, कंपनयिों, ट्रस्टों या सोसायटयिों जैसे वभिन्न कानूनी रूपों के तहत पंजीकृत हैं । उनका उद्देश्य छोटे व सीमांत कसिानों को उनकी उपज और सौदेबाजी की शक्ति को एकत्र करके वत्तित एवं बाज़ार तक बेहतर पहुँच प्रदान करना है ।
 - वे अपने सदस्यो को तकनीकी सहायता, इनपुट आपूर्ति, मूल्य संवर्धन और गुणवत्ता आश्वासन भी प्रदान करते हैं ।

और पढ़ें: [कृषि अवसंरचना कोष, कसिान उत्पादक संगठन](#)